न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 65/2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

अमृतपाल सिह पुत्र कुलदीप सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़–वादी

बनाम्

1. कुलदीप सिह पुत्र छोटा सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।
2. भवनदीप कौर पुत्री कुलदीप सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित – 1. श्री महावीर बेरड एडवोकेट (वादी)
2. कुलदीप मूण्ड एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 2)

निर्णय

दिनांकः– 18.3.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता एवं प्रतिवादीया सं. 2 वादी की बहिन है। जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादीया सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 14 बी.जी.पी. के खाता सं. 21/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.759 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिष्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि परित्याग वादी के पक्ष में बंटवारा अनुसार कर दिया। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि अन्य चक में प्राप्त कर ली है तथा प्रतिवादीया सं. 2 की शादी अच्छा दान–दहेज देकर अच्छे परिवार में कर दी है जो राजीखुषी अपना जीवनयापन कर रही है। अब प्रतिवादी सं. 1 व 2 का उक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा षेष नही रहा है। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं वादी अमृतपाल सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 14 बी.जी.पी. के खाता सं. 21/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.759 है. कृषि भूमि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि मुताबिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादीया सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

से तहसील संगरिया के चक 14 बी.जी.पी. के खाता सं. 21/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.759 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काष्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 3 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा चक 14 बीजीपी खाता सं. 21/37 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की जमाबंदी प्रदर्श 1 व इसी चक खाता संख्या 27/39 जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 की जमाबन्दी प्रदर्श–2 करवाये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक चक 14 बीजीपी खाता सं. 21/37 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में प्रतिवादी संख्या 1 कुलदीप सिह पुत्र छोटा सिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 14 बीजीपी की जमाबन्दी प्रदर्श 2 करवाई गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 कुलदीप सिह वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का पिता है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो प्रदर्श 2 से पैतृक साबित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति/पैतृक अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 14 बीजीपी खाता संख्या 21/37 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 18.3.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया